बिहार विधान सभा

की

शून्यकाल समिति

का

96वाँ प्रतिवेदन

(खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग)

(बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति द्वारा प्रकाशित)

(दिनांक 28 मार्च, 2023 ई0 को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

		पृष्ठ
1.	शून्यकाल समिति के सदस्यों तथा शून्यकाल समिति शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची ।	क
2.	प्राक्कथन	ख
3.	प्रतिवेदन	1-2
4.	परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V	3-7

बिहार विधान सभा की शून्यकाल समिति के सदस्यों की सूची --

सभापति

1.	श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री निरंजन राय	स०वि०स०
2.	श्री लखेन्द्र कुमार रौशन	स०वि०स०
3.	श्री राजेश कुमार सिंह	स०वि०स०
4.	श्री सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन	स०वि०स०
5.	श्री कृष्णामुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया	स०वि०स०
6.	श्री अरूण सिंह	स०वि०स०
7.	श्री आलोक रंजन	स०वि०स०
8.	श्री अचमित ऋषिदेव	स०वि०स०
9.	श्री देवेश कांत सिंह	स०वि०स०
10.	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	स०वि०स०

सभा सचिवालय के पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सूची--

1.	श्री पवन कुमार पांडेय	प्रभारी सचिव
2.	श्री असीम कुमार	निदेशक
3.	श्री अभय शंकर राय	उप-सचिव
4.	श्री सुधांशु राय	प्रशाखा पदाधिकारी
5.	श्रीमती सुषमा	सहायक
6.	श्रीमती उषा कुमारी	सहायक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, शून्यकाल समिति बिहार विधान सभा पटना की हैसियत से सप्तदश बिहार विधान सभा में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित द्वितीय सत्र के विभिन्न तिथियों में माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स०, श्री सुधाकर सिंह, स०वि०स०, श्री रामबली सिंह यादव, स०वि०स० एवं श्री महा नंद सिंह, स०वि०स० एवं श्री आलोक कुमार मेहता, स०वि०स० द्वारा सदन में लाये गये शून्यकाल सूचनाओं पर शून्यकाल समिति का 96वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित ऊपर वर्णित माननीय सदस्यों से प्राप्त शून्यकाल सूचनाओं के निष्पादन में विभागीय पदाधिकारियों ने अपना सहयोग प्रदान किया है।

अंत में प्रतिवेदन तैयार करने में समिति के सभी माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने व्यक्तिगत रूचि लेकर यह कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया है, को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ।

सभापति,
नीतीश मिश्रा,

शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

सत्रहवीं बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित पूछे गये कूल शून्यकाल सूचनाओं की संख्या 08 है। जिसमें से अभीतक 05 माननीय सदस्यों के शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा को प्राप्त हुआ है। शून्यकाल समिति की समीक्षा बैठकों में कुल 05 शून्यकाल सूचनाओं के उत्तर को कार्यान्वित माना गया है। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :--

क्र० सं०	माननीय सदस्यों के नाम	शून्यकाल के विषय	सदन में उपस्थापन की तिथि।	विभाग को भेजे गये पत्रांक।	विभाग से प्राप्त उत्तर का पत्रांक एवं दिनांक।
1.	श्री सुदामा प्रसाद	बिहार सरकार ने धान-खरीद का लक्ष्य 30 लाख MT से बढ़ाकर 45 लाख MT कर दिया, लेकिन खरीद 31 मार्च से घटाकर 21 फरवरी किया और अभीतक मात्र 35 लाख MT धान की ही खरीद हो पाई है। किसान हित में धान खरीद का समय 31 मार्च तक बढ़ाने के संबंध में।	23.02.2021	03/21-502 01.03.2021	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 1174 दिनांक 05 मार्च, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-01)
2.	श्री सुधाकर सिंह	कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखंडान्तर्गत सहका पंचायत के ग्राम-सहुका के डीलर द्वारा गबन के आरोप में एफ०आई०आर० दर्ज किया गया है एवं निलंबन भी किया गया है। संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने के संबंध में।	23.02.2021	03/21-537 01.03.2021	गृह विभाग के ज्ञापांक 1778, दिनांक 08 मार्च, 2021के द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में हस्तांतरित खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 1418, दिनांक 18 मार्च, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-02)
3.	श्री रामबली सिंह यादव	जन-वितरण की दुकान में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सुनने के लिये प्रखण्डों में M.O. उपलब्ध नहीं रहते। M.O. का कई प्रखण्डों का प्रभारी रहने के कारण मजबूरी बताया जाता है। M.O. से खाली प्रखण्डों में C.O./B.D.O. को चार्ज देने के संबंध में ।	26.02.2021	06/21-678 05.03.2021	खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 1294, दिनांक 12 मार्च, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-03)
4.	श्री महा नंद सिंह	अरवल जिला के चैनपुर गाँव के 15 महादलित-गरीबों का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है, पुनःजोड़ने की माँग के संबंध में।	08.03.2021	12/21-958 17.03.2021	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 1491, दिनांक 24 मार्च, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-04)।

5.	श्री आलोक कुमार मेहता	जन-वितरण उपभोक्ताओं को आधार से लिंक प्रक्रिया में दुकानदार द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जमा न होने एवं सर्वर डाउन के कारणों के आर में उपभोक्ताओं की हकमारी हो रही है। उपभोक्ताओं के हित में ठोस कदम उठाने के संबंध में ।	08.03.2021	12/21-959 17.03.2021	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञापांक 1434, दिनांक 19 मार्च, 2021 से उत्तर प्राप्त। (परिशिष्ट-05)।

शून्यकाल सूचनाओं का प्रति उत्तर विभाग द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में शून्यकाल के विषय अप्रासंगिक हो जाता है। सदन में उठाये गये शून्यकाल का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व का होने के साथ-साथ तात्कालिक होता है। ऐसी स्थिति में समिति भविष्य में विभाग द्वारा ससमय शून्यकाल सूचनाओं का उत्तर बिहार विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखती है।

सभापति,

नीतीश मिश्रा,
शून्यकाल समिति,
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट–I

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल सूचना

बिहार सरकार ने धान खरीद का लक्ष्य 30 लाख एम०टी० से बढ़ाकर 45 लाख एम०टी० कर दिया, लेकिन खरीद 31 मार्च से घटाकर 21 फरवरी किया और अभीतक मात्र 35 लाख एम०टी० धान की ही खरीद हो पाई है। किसान हित में धान खरीद का समय 31 मार्च तक बढ़ाने की माँग करता हूँ।

श्रीमती लेशी सिंह, माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना के पत्रांक 502, दिनांक 01 मार्च, 2021 के आलोक में प्राप्त शून्यकाल सूचना का प्रतिवेदन।

स्वीकारात्मक है।

खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में राज्य के किसानों से धान की अधिप्राप्ति हेतु निर्धारित पूर्व लक्ष्य (30 लाख मे०टन) को राज्य में धान के उत्पादन के आलोक में भारत सरकार से अनुरोध कर 45 लाख मे०टन बढ़ाया गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा किसानों से धान की खरीद के आवेदन की स्थिति पर विचार करते हुये विभागीय अधिसूचना संख्या 124, दिनांक 11 जनवरी, 2021 द्वारा धान अधिप्राप्ति की तिथि दिनांक 31 मार्च, 2021 से घटाकर दिनांक 31 जनवरी, 2021 की गयी थी। पुन: किसानों से प्राप्त अनुरोध पर उच्चस्तरीय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 469, दिनांक 29 जनवरी, 2021 के द्वारा धान अधिप्राप्ति की अन्तिम तिथि को विस्तारित करते हुये दिनांक 21 फरवरी, 2021 तक निर्धारित की गयी।

उल्लेखनीय है कि राज्य में धान की अधिप्राप्ति किसानों के ऑन-लाइन आवेदन के आधार पर अधिप्राप्ति हेतु उपलब्ध धान की मात्रा के मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं नियंत्रित तरीके से सम्पन्न की गयी है तथा राज्य सरकार का यह पूरा प्रयास रहा है कि कोई भी इच्छुक किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने से वंचित न रहे और धान की आपात बिक्री न हो। धान अधिप्राप्ति के क्रम में बिचौलिये सक्रिय न हो इसके लिये ग्रामवार दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक प्रथम चरण एवं दिनांक 07 जनवरी, 2021 से दिनांक 09 जनवरी, 2021 तक द्वितीय चरण में अभियान चलाकर क्रमश: 1,52,725 तथा 76726 धान अधिप्राप्ति हेतु इच्छुक किसानों की सूची तैयार कर किसानों के सुविधानुसार धान की अधिप्राप्ति की गयी। विशेष अभियान के क्रम में सामान्य प्रक्रिया के तहत भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की अधिप्राप्ति होती रही, जिसके परिणाम स्वरूप खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में अद्यतन 3559307.553 मे०टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है जो पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में काफी अधिक है और अभीतक का कीर्तिमान है।

जहाँतक धान अधिप्राप्ति की तिथि 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित करने का प्रश्न है उस परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय है कि विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति व्यवस्था के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का मूल उद्देश्य किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य उपलब्ध सुनिश्चित करना है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये खरीफ विपणन मौसम 2020-21 में सर्वप्रथम किसानों के निबंधन व्यवस्था को सरलीकृत किया गया तथा कृषि विभाग के सहयोग से विशेष अभियान चलाकर पंचायतवार इच्छुक शेष किसानों की सूची तैयार कर उनके द्वारा लाये गये धान की अधिप्राप्ति सुनिश्चित की गयी। इस वर्ष राज्य सरकार का यह प्रयास था कि यथाशीघ्र धान अधिप्राप्ति का कार्य सम्पन्न किया जाये, ऐसी स्थिति में धान अधिप्राप्ति का समय सीमा घटाने से अधिप्राप्ति की गति में अभूतपूर्व तीव्रता आई एवं छोटे किसानों में भी सरकार के अधिप्राप्ति कार्यक्रम पर विश्वास बढ़ा है। वस्तुत: धान अधि प्रिाप्ति कार्यक्रम का समय सीमा घटाने के पीछे सरकार की यही मौलिक सोच रही है।

परिशिष्ट–II

श्री सुधाकर सिंह, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल की सूचना

"कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्डान्तर्गत सहुका पंचायत के ग्राम-सहुका के डीलर द्वारा गबन के आरोप में एफ०आई०आर० दर्ज किया गया है एवं निलंबन भी किया गया है। संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई करावें"।

श्रीमती लेशी सिंह, माननीया मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्र संख्या शू०का०स०03/2021- 537/वि०स०, दिनांक 01 मार्च, 2021 के आलोक में प्राप्त शून्यकाल सूचना पर दिये गये वक्तव्य से संबंधित प्रतिवेदन।

कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत कार्यपालक सहायक और डीलर के मिलीभगत से राशन कार्डधारियों का नाम बदलकर अन्य लोगों का नाम चढ़ाकर राशन के गबन से संबंधित प्राप्त शिकायतों की जाँच हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 773, दिनांक 11 फरवरी, 2021 द्वारा निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में संयुक्त जाँच दल का गठन किया गया। उक्त के आलोक में दिनांक 12 फरवरी, 2021 को जाँच दल द्वारा रामगढ़ प्रखंड में की गयी स्थल जाँच में पायी गयी अनियमितता से संबंधित प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में अंकित अनियमितताओं के आलोक में विभाग द्वारा निम्नांकित कार्रवाई की गयी है --

1. श्री विजय कुमार झा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर अतिरिक्त प्रभार रामगढ़ एवं कुदरा को विभागीय आदेश ज्ञापांक 1334, दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा निलंबित किया गया है। साथ ही इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आरोप-पत्र प्रपत्र "क" गठित किया जा चुका है।

2. जाँच प्रतिवेदन में पायी गयी अनियमितता के आलोक में संबंधित कार्यपालक सहायकों की सेवा समाप्त करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर को विभागीय पत्रांक 1335, दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है।

3. पी०एम०यू० कोषांग, मुख्यालय को तत्काल प्रभाव से संबंधित राशन काडों को Disable कर निधि अनुरूप उक्त राशन काडों के रद्दीकरण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर को सूचित करने हेतु विभागीय पत्रांक 1336, दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है।

4. संबंधित डीलरों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर विधि अनुसार उनकी अनुज्ञप्ति 15 दिनों के अन्दर रद्द करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर को विभागीय पत्रांक 1337, दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा निदेशित किया गया है।

5. विभागीय पत्रांक 1338, दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) एवं तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर से एक पक्ष के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की गयी है।

6. विभागीय पत्रांक 1339, दिनांक 15 मार्च, 2021 द्वारा एन०आई०सी०, पटना एवं पी०एम०यू० कोषांग (मुख्यालय) को निदेशित किया गया है कि टीम गठित कर इस तथ्य की जाँच की जाये कि क्या मोहनियाँ अनुमंडल में अन्य किसी स्थान पर भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार/अनियमितता बरती जा रही है।

परिशिष्ट–III

श्री रामबली सिंह यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त शून्यकाल का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न-- जन-वितरण की दूकान में व्याप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत सुनने के लिये प्रखंडों में M.O. उपलब्ध नहीं रहते। M.O. का कई प्रखण्डों का प्रभारी रहने के कारण मजबूरी बताया जाता है। सरकार से अपील है कि M.O. से खाली प्रखण्डों में C.O./B.D.O. को चार्ज दिया जाये।

प्रभारी मंत्री--अस्वीकारात्मक । विभागीय पत्रांक 5175, दिनांक 31 अगस्त, 2010 द्वारा सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन प्रखंडों में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक पदस्थापित नहीं है, वहां जिला पदाधिकारी प्रखंड स्तर पर उपलब्ध अन्य पदाधिकारी यथा प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक का कार्य लें।

विभागीय आदेश ज्ञापांक 604, दिनांक 03 फरवरी, 2020 द्वारा कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुये आपूर्ति निरीक्षक/प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को उनके मूल पदस्थापित प्रखंड के अलावा अतिरिक्त प्रभार विभाग के स्तर से दिया गया है एवं आवंटित अतिरिक्त प्रभार के बावजूद यदि रिक्ति उपलब्ध रहती है, तो उन प्रखंडों का प्रभार स्थानीय व्यवस्था के माध्यम से सुयोग्य एवं कर्मठ पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को आवंटित करने का निदेश सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया है।

परिशिष्ट–IV

पत्रांक प्र०6-वि०स०-21/2021-1491 खाद्य

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेषक

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

पटना, दिनांक 24 मार्च, 2021 (ई०)।

विषय--श्री महा नन्द सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा शून्यकाल सूचना का उत्तर के संबंध में ।

प्रसंग--आपका पत्रांक 958, दिनांक 17 मार्च, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री महा नन्द सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा शून्यकाल सूचना का उत्तर निम्न प्रकार है --

शून्यकाल सूचना--अरवल जिला के चैनपुर गाँव के 15 महादलित गरीबों का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है, पुनः जोड़ने की माँग करता हूँ।

उत्तर -- जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 119/आ०, दिनांक 20 मार्च, 2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अरवल जिला के करपी प्रखंड के चैनपुर गाँव में ज्ञात महादलित परिवारों की संख्या 03 (तीन) है जिनके राशन कार्ड विद्यमान है। चैनपुर गाँव के किसी भी महादलित गरीब परिवार का राशन कार्ड से नाम नहीं काटा गया है। भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि कुछ अन्य परिवारों के राशन कार्ड पूर्व वर्षों से अपात्रता के आधार पर रद्द किये गये हैं। राज्य सरकार प्रत्येक पात्र लाभुक परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित करने का लगातार प्रयास कर रही है।

विश्वासभाजन,

संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

परिशिष्ट–V

पत्रांक प्र०6–वि०स०–22/2021/1434 खाद्य

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

प्रेषक,

संगीता सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

अवर-सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना।

पटना, दिनांक 19 मार्च, 2021(ई०)।

विषय--श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा शून्यकाल सूचना का उत्तर के संबंध में ।
प्रसंग--आपका पत्रांक 959, दिनांक 17 मार्च, 2021 ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री आलोक कुमार मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा शून्यकाल सूचना का उत्तर निम्न प्रकार है :--

शून्यकाल सूचना--जन-वितरण उपभोक्ताओं को आधार से लिंक प्रक्रिया में दुकानदार द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जमा न होने एवं सर्वर डाउन के कारणों के आर में उपभोक्ताओं को हकमारी हो रही है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि उपभोक्ताओं के हित में ठोस कदम उठाया जाये।

उत्तर -- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड में अंकित पारिवारिक सदस्यों की सूची में से किसी भी पारिवारिक सदस्य के बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन कार्डधारी खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारणवश यथा वृद्धावस्था, कुष्ठ रोग, दिव्यांगता या अन्य किसी कारण से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने की दशा में आँखों की पुतली (Iris scan) के माध्यम से सत्यापन के आधार पर खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया से लाभुकों को यह फायदा है कि राज्य के भीतर या बाहर किसी भी जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है। विभागीय पत्रांक 4537, दिनांक 27 नवम्बर, 2020 तथा पत्रांक 4719, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 के आलोक में यदि वृद्धावस्था, कुष्ठ रोग, दिव्यांगता आदि की स्थिति में बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने की स्थिति में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी को नॉमनी के रूप में नामित करते हुये बोयोमेट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न का वितरण कराने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित पारिवारिक सदस्यों के राशन कार्ड को आधार संख्या से सम्बद्ध करने हेतु समाचार-पत्रों के माध्यम से बार-बार प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। राशन कार्डधारी अपने नजदीकी जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता के पास उपलब्ध पॉस यंत्रों के माध्यम से अपने राशन कार्ड के सभी पारिवारिक सदस्यों के आधार संख्या से संबद्ध कर सकते हैं।

बिहार में औसतन हर महीने 1.60 करोड़ राशन कार्डधारी परिवारों को पॉस मशीन पर बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। बिहार में औसतन प्रतिदिन 5.37 लाख राशन कार्डधारियों को 14206.21 मे०टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

आधार संख्या आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन से खाद्यान्न का वितरण पारदर्शी तरीके से ससमय संभव हो पाया है। साथ ही, खाद्यान्न वितरण, राशन कार्ड की विवरणी, जन-वितरण प्रणाली बिक्रेता के पास खाद्यान्न के भंडार आदि संबंधी विवरणी पब्लिक पोर्टल पर भी उपलब्ध है। सर्वर डाउन रहने या तकनीकी समस्या सामान्यतः नहीं है। यदि कभी कोई तकनीकी समस्या आती है तो एन०आई०सी० की तकनीकी टीम द्वारा तुरंत निदान किया जाता है। फलस्वरूप पूरी प्रणाली सुव्यवस्थित एवं पूर्णतः संतोषप्रद तरीके से चल रही है।

विश्वासभाजन
संगीता सिंह,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

बि०स०मु० 06 (एल०ए०) - 2023-24 डी०टी०पी० -- 300

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2023